

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)  
(पीठासीन अधिकारी, प्रशासन गांवों के संग अभियान, 2023 कैंप कोर्ट)

कैंप कोर्ट का स्थान.....लागन.....

दिनांक :- 05/01/23

—: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी .....लागन..... व  
भू-अभिलेख निरीक्षक .....की रिपोर्ट तथा तहसीलदार कपासन की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान  
भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम .....तहसील कपासन जिला  
चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्वत् 2074 से 2077 जमाबन्दी 2075(वर्ष 2018) से स्थायी में खाता संख्या .....344  
.....में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद  
के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम का नाम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	लागन	364	सोदनी पति माबुलान 1/4 पाट ता. देह (वातेदार)	सोदनीबाई पति माबुलान 1/4 पाट ता. देह (वातेदार)

(*ds*)  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़  
दिनांक :- 05/01/23

क्रमांक / *लागन* / 2023 / 24 B  
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, .....को भजे कर लेख है, कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद होम किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री .....को सूचनाथ
3. रक्षित पत्रावली।



(*ds*)  
पीठासीन अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहा.  
कलक्टर, कपासन जिला चित्तौड़गढ़